द्वारा सू... केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा ... को पेश हो
पर आयंदा दिनांक 19/5/2017

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 29/2016 मनीया उर्फ मनाराम बनामः स्व.पुरीया उर्फ पुराराम के का.मु. विक्रमकुमार वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 19.05.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र गोगरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति एव साक्ष्य–दस्तावेजों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् मामले में वर्णित सरहद मौजा गोगरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 125, 227, 228, 229 के बारे में

लगातार–

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला–पाली

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष 2017	

राजस्व विविध सं. 29/2016 मनीया उर्फ मनाराम बनामः स्व.पुरीया उर्फ पुराराम के का.मु. विक्रमकुमार वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः प्रश्नगत् मामले में वर्णित सरहद मौजा गोगरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 125, 227, 228, 229 के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 28/2016 के निस्तारण तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारान को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे।

यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प– अटल सेवा केन्द्र गोगरा में बरोज आज दिनांक 19.05.2017 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 28/2016 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner